FORM 21C

See rule (64)

(For use in General Election when Seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of the RAJASTHAN from 111-MERTA (SC) Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act. 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules 1961, I declare that **SMT INDIRA DEVI** VPO-MOKALPUR, TEH.- MERTA, DIST.- **NAGAUR (RAJ.)** Sponsored by **Rashtriya Loktantrik Party** has been duly elected to fill the seat in that house from the above Constituency.

Place - Sh. B.R. Mirdha Govt. College, NAGAUR Date - 11-12-2018

Scanned by CamScanner

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 कें अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। 111 — मेडता (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्रीमती इन्दिरा देवी पता मुकाम पोस्ट मोकलपुर, तहसील— मेडता, जिला— नागौर (राज.) जो राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी द्वारा खडे किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : श्री बी.आर.मिर्घा राजकीय महाविद्यालय, नागौर।

तारीख: 11 दिसम्बर 2018

(हिरालाब मीना) (अजा) (एस डी एम) मेंड्ता (अजा) (एस डी एम) अधिकारी

111-मेड़ता (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र